


कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) जयपुर

कार्यालय –आदेश

निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के आदेश क्रमांक: शिविरा /प्रारं/ शैक्षिक /सी /19626 / 09-10 / 18-19 दिनांक 29.01.09 के अनुपालना में निम्नांकित संस्थाओं को (हिन्दी माध्यम/ अंग्रेजी माध्यम) प्राथमिक विधालय से उच्च प्राथमिक विधालय में क्रमौन्नत करने हेतु प्राप्त आवेदन – पत्र प्रस्तुत कर राज्य सरकार द्वारा वर्णित क्र.सं. 1 से 5 तक में निर्देष्ठि शर्तों व पालना करने बाबत प्रस्तुत शपथ–पत्र (अण्डर टेकिंग) एवं समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर संस्था का आवेदन पत्र निम्न शर्तों के आधार पर स्वीकार किया जाता है:-

1. राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था के नियम –1993 के परिशिष्ट–2 में यथा निर्देशित निबन्धकों तथा शर्तों की पूर्ति करने बाबत प्रस्तुत शपथ–पत्र के अनुसार सभी शर्तों पूर्ति करती है।
2. संस्था द्वारा राज्य सरकार/निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा इत्युं जिला एवं ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समय–2 उनके द्वारा मांगी जाने वाली प्रत्येक सूचना समय पर प्रेषित की जावें।
3. संस्था के विधार्थी किसी अन्य गैर सरकारी संस्था अथवा सरकारी विधालय में प्रवेश पा सकेंगे, किन्तु संस्था द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा अथवा शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित समान परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।
4. संस्था को प्राथमिक स्तर से उच्च प्राथमिक स्तर में सत्र 2009–10 से क्रमौन्नत की जावेगी, क्रमौन्नत प्रथम सत्र में कक्षा–6 में, सत्र 2010–11 में कक्षा–7 में, एवं सत्र 2011–12 में कक्षा–8 प्रारम्भ की जावेगी।
5. कक्षानुसार शत प्रतिशत प्रशिक्षित अध्यापक मानदण्डनुसार किये जावेंगे।
6. भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र प्रति वर्ष सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जावेगा।
7. दिनांक 30 सितम्बर के आधार पर प्रत्येक वर्ष नामांकन एवं वित्तिय वर्ष की समाप्ति पर आय–व्यय विवरण स्थानीय कार्यालय की संबंधित शाखा में प्रस्तुत करेंगे।
8. कार्यरत कर्मचारियों को नियमानुसार वेतन भत्तों आदि की सुविधा दी जावें।
9. शिक्षा से वंचित परिक्षैत्र के बच्चों को आपकी शाला से अनिवार्य रूप से जोड़कर सूची इस कार्यालय में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेंगे।
10. शपथ पत्र वर्णित तथ्यों की असत्यता पाई जाने पर उक्त जारी प्रमाण–पत्र/आदेश निरस्त किया जा सकेगा और संस्था के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।
11. माननीय न्यायालय के पूर्वानुमति के शिक्षा सत्र 2009–10 में शुल्क वृद्धि नहीं करेगी, जो पूर्व में लिया जा रहा था, वही शुल्क लिया जावेगा। यदि कोई शुल्क बढ़ा कर लिया जावेंगा, जो माननीय न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध होगा। उक्त आदेशों की पालना में किसी भी प्रकार का शिथिलता बरती जाने की स्थिति में इसे गंभीरता से लिया जायेगा।

क्र. सं.	संस्था का नाम व पता	माध्यम हिन्दी / अंग्रेजी	मान्यता स्तर
1	शिवाजी पब्लिक स्कूल खादीबाग रोड चौमू पं. स. गोविन्दगढ़	अंग्रेजी	उ प्रा वि
2	दिव्यज्योति पब्लिक स्कूल डी 11 लक्ष्मी विहार गांधी पथ पश्चिम लालरपुरा पं. स. झोटवाडा जयपुर	हिन्दी	उ प्रा वि
3	अमन पब्लिक स्कूल 20 अयोध्या नगर धावास अजमेर रोड पं स झोटवाडा	हिन्दी	उ प्रा वि
4	कृष्ण पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति वार्ड नं. 18 खातीवाला पं स विराटनगर	हिन्दी	उ प्रा वि
5	विमल मुनि शिक्षा समिति गांव आसपुरा पो रघुनाथपुरा पं स कोटपुतली	हिन्दी	उ प्रा वि
6	चिलड़न्स् केरियर एकेडमी फूलेरा जोबनेर रोड प. स सांभरलेख	अंग्रेजी	उ प्रा वि
7	गुल मोहर चिल्ड्र स एकेडमी पावटा पं स कोटपुतली	अंग्रेजी	उ प्रा वि
8	अम्बेडकर पब्लिक स्कूल अम्बेडकर कालोनी ग्राम चूरी प.स कोटपुतली	हिन्दी	उ प्रा वि
9	किम्बर लाईट ऐज्युकेशन सोसायटी (किम्बर लाईट स्कूल) 144 पश्चिम बिहार सिरसी रोड प.स झोटवाडा	अंग्रेजी	उ प्रा वि
10	गुप्ता पब्लिक स्कूल बाजोरिया स्कूल के सामने शास्त्री नगर जयपुर	हिन्दी	उ प्रा वि



 जिला शिक्षा अधिकारी
 प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर

क्रमांक: जिशिअ/जय/प्राशि/सा-3/फा- । /मान्यता/09-10/७६०

दिनांक ३१.३.०९

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. शासन उपसचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर
2. आयुक्त महोदय प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
3. शिक्षा उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा जयपुर संभाग, जयपुर।
4. संबंधित ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी,
5. सचिव, छिनाऊ पब्लिक स्कूल, झोटवाडा
6. रक्षित पत्रावली।


 जिला शिक्षा अधिकारी,
 प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर।